रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062020-220145
CG-DL-E-24062020-220145

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1807] **नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2020/आषाढ़ 3, 1942**
No. 1807] **NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2020/ASADHA 3, 1942**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

कराधान और अन्य विधि

का.आ.2033(अ).—केंद्रीय सरकार, कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों में छूट देना) अध्यादेश, 2020 (2020 का 2) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अध्यादेश कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि—

(i) 31 दिसंबर, 2020 उस अवधि की अंतिम तारीख होगी, जिसके दौरान विनिर्दिष्ट अधिनियम में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विहित या अधिसूचित समय-सीमा ऐसी कार्रवाई के, जो उक्त उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट है, पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए है ; और

(ii) 31 मार्च, 2021 ऐसी अंतिम तारीख होगी, जिसके लिए ऐसी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए समय-सीमा को विस्तारित किया जाएगा :

परंतु जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम आय-कर अधिनियम, 1961 है और अनुपालन—

(i) उसकी धारा 139 के अधीन विवरणी देने के संबंध में है—

(क) 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए अंतिम तारीख को 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ाया जाएगा ;

(ख) वहां 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए अंतिम तारीख को 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ाया जाएगा ;

(ii) यथास्थिति, फरवरी या मार्च, 2020 के लिए या 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए धारा 200 की उपधारा (2क) के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का विवरण देने या उसकी धारा 206ग की उपधारा (3क) के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण का विवरण देने के संबंध में है, वहां अंतिम तारीख को 15 जुलाई, 2020 तक बढ़ाया जाएगा ;

(iii) यथास्थिति, फरवरी या मार्च, 2020 के लिए या 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए उसकी धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का विवरण देने या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण का विवरण देने के संबंध हैं, वहां अंतिम तारीख को 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ाया जाएगा ;

(iv) उस अधिनियम की धारा 192 के अधीन कर की कटौती या उसके संदाय के संबंध में उसकी धारा 203 के अधीन प्रमाणपत्र देने के संबंध में है, वहां अंतिम तारीख को 15 अगस्त, 2020 तक बढ़ाया जाएगा ;

(v) अध्यादेश की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) की मद (I) में निर्दिष्ट धारा 54 या धारा 54छख या उक्त खंड के उपखंड (ii) के संबंध में है, वहां उसे पूरा करने या अनुपालन हेतु समय-सीमा के संबंध में अंतिम तारीख को और उसे पूरा करने या उक्त अनुपालन के लिए अंतिम तारीख क्रमश: 29 सितंबर, 2020 और 30 सितंबर, 2020 होगी ;

(vi) अध्यादेश की धारा 3 की उपधारा (1) के उपखंड (i) की मद (I) में निर्दिष्ट उसके "ख. कतिपय संदायों की बाबत कटौतियां" शीर्षक के अधीन अध्याय 6-क के किन्हीं उपबंधों के संबंध में है, वहां पूरा करने या अनुपालन हेतु समय-सीमा के संबंध में अंतिम तारीख और उसे पूरा करने या उक्त अनुपालन के लिए अंतिम तारीख क्रमश: 30 जुलाई, 2020 और 31 जुलाई, 2020 होगी ; और

(vii) 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए उसके किसी उपबंध के लिए संपरीक्षा रिपोर्ट देने के संबंध में है, वहां अंतिम तारीख को 31 अक्तूबर, 2020 तक बढ़ाया जाएगा :

परंतु यह और कि पहले परंतुक के खंड (i) के उपखंड (ख) में यथानिर्दिष्ट तारीख का बढ़ाया जाना आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 234क के स्पष्टीकरण 1 को उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां ऐसी कुल आय पर, जो उक्त उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (vi) द्वारा कम की गई है, कर की रकम एक लाख रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 है, वहां 30 दिसंबर, 2020 उस अवधि की अंतिम तारीख होगी, जिसके दौरान कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए उसमें विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विहित या अधिसूचित समय-सीमा आती है और 31 दिसंबर, 2020 वह अंतिम तारीख होगी, जिस तक ऐसी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए समय-सीमा को बढ़ाया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 30 जून, 2020 से प्रवृत्त होगी ।

[अधिसूचना सं. 35 /2020/फा.सं. 370142/23/2020-टीपीएल]

नेहा सहाय,अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2020

TAXATION AND OTHER LAWS

S.O. 2033(E).– In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 (2 of 2020) (hereinafter referred to as the Ordinance), the Central Government hereby specifies , for the purposes of the said sub-section (1),-

(i) the 31st day of December, 2020 shall be the end date of the period during which the time limit specified in, or prescribed or notified under, the specified Act falls for the completion or compliance of such action as specified under the said sub-section; and

(ii) the 31st day of March, 2021 shall be the end date to which the time limit for completion or compliance of such action shall stand extended:

Provided that where the specified Act is the Income-tax Act, 1961 and the compliance relates to-

(i) furnishing of return under section 139 thereof, for the assessment year commencing on the -

(a) 1st day of April, 2019, the end date shall be extended to the 31st day of July, 2020;

(b) 1st day of April, 2020, the end date shall be extended to the 30th day of November, 2020;

(ii) delivering of statement of deduction of tax at source under sub-section (2A) of section 200 or statement of collection of tax at source under sub-section (3A) of section 206C thereof for the month of February or March, 2020, or for the quarter ending on the 31st day of March, 2020, as the case may be, the end date shall be extended to the 15th day of July, 2020;

(iii) delivering of statement of deduction of tax at source under sub-section (3) of section 200 or statement of collection of tax at source under proviso to sub-section (3) of section 206C thereof for the month of February or March, 2020, or for the quarter ending on the 31st day of March, 2020, as the case may be, the end date shall be extended to the 31st day of July, 2020;

(iv) furnishing of certificate under section 203 thereof in respect of deduction or payment of tax under section 192 of that Act for the financial year 2019-20, the end date shall be extended to the 15th day of August, 2020;

(v) section 54 or 54GB referred to in item (I) of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Ordinance or sub-clause (ii) of the said clause, the end date in respect of the time limit for the completion or compliance and the end date for making the said completion or compliance, shall be the 29th day of September, 2020 and the 30th day of September, 2020 respectively;

(vi) any provisions of Chapter VI-A under the heading "B.- Deductions in respect of certain payments" thereof, referred to in item (I) of sub-clause (i) of sub-section (1) of section 3 of the Ordinance, the end date in respect of the time limit for the completion or compliance and the end date for making the said completion or compliance, shall be the 30th day of July, 2020 and the 31st day of July, 2020 respectively; and

(vii) furnishing of report of audit under any provision thereof for the assessment year commencing on the 1st day of April, 2020, the end date shall be extended to the 31st day of October, 2020:

Provided further that the extension of the date as referred to in sub-clause (b) of clause (i) of the first proviso shall not apply to *Explanation 1* to section 234A of the Income-tax Act, 1961 in cases where the amount of tax on the total income as reduced by the clauses (i) to (vi) of sub-section (1) of the said section exceeds one lakh rupees :

Provided also that where the specified Act is the Direct Tax *Vivad se Vishwas* Act, 2020, the 30th day of December, 2020 shall be the end date of the period during which the time limit specified in, or prescribed or notified thereunder falls for the completion or compliance of the action and the 31st day of December, 2020 shall be the end date to which the time limit for completion or compliance of such action shall stand extended.

2. This notification shall come into force from the 30th day of June, 2020.

[Notification No.35 /2020/ F. No. 370142/23/2020-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.